



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 27 जुलाई, 2009 ई0

श्रावण 05, 1931 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 284/XXXVI(3)/2009/39(1)/2009

देहरादून, 27 जुलाई, 2009

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने ‘उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक 2009’ पर दिनांक 25 जुलाई, 2009 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 10, वर्ष 2009 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड विनियोग अधिनियम, 2009

(अधिनियम संख्या 10, वर्ष 2009)

31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की संचित निधि से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये-

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विनियोग अधिनियम, 2009 है। संक्षिप्त नाम

उत्तराखण्ड की
समेकित निधि में
से वर्ष 2009-
2010 के लिए
रु 147373753000
का दिया जाना

2. उत्तराखण्ड राज्य की संचित निधि में से ऐसे विविध परिव्यय, जो 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2009 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 2, वर्ष 2009) की अनुसूची के स्तम्भ 7 से 10 में विनिर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके) 147373753000 रुपये (चौदह हजार सात सौ सैंतीस करोड़ सैंतीस लाख तिरपन हजार मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3. इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की संचित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग, 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, जो अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रुपयों में)			
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग	
1	2	3			
01	विधान सभा	राजस्व	139721	7981	147702
		पूँजी	5000	0	5000
02	राज्यपाल	राजस्व	0	43745	43745
		पूँजी	0	0	0
03	मंत्रिपरिषद्	राजस्व	301695	0	301695
		पूँजी	0	0	0
04	न्याय प्रशासन	राजस्व	774018	237851	1011869
		पूँजी	50000	0	50000
05	निर्वाचन	राजस्व	278657	0	278657
		पूँजी	0	0	0
06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	3492581	12491	3505072
		पूँजी	362238	0	362238
07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व	19649776	15349090	34998866
		पूँजी	1493517	13115808	14609325
08	आबकारी	राजस्व	68657	0	68657
		पूँजी	1000	0	1000
09	लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	48471	48471
		पूँजी	0	3500	3500
10	पुलिस एवं जेल	राजस्व	4713530	0	4713530
		पूँजी	260002	0	260002
11	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	28637964	0	28637964
		पूँजी	375692	0	375692
12	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	5214459	0	5214459
		पूँजी	426265	0	426265
13	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	6235683	0	6235683
		पूँजी	10000	0	10000
14	सूचना	राजस्व	219066	0	219066
		पूँजी	5000	0	5000
15	कल्याण योजनार्यें	राजस्व	3086219	0	3086219
		पूँजी	76003	0	76003
16	श्रम और रोजगार	राजस्व	461324	0	461324
		पूँजी	26500	0	26500

1	2	3	4	5
17	कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	राजस्व	2595677	0
		पूँजी	13702	0
18	सहकारिता	राजस्व	184987	0
		पूँजी	40201	0
19	ग्राम्य विकास	राजस्व	3420523	0
		पूँजी	427001	0
20	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	2462278	0
		पूँजी	4744609	0
21	ऊर्जा	राजस्व	85312	0
		पूँजी	4846176	0
22	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	3670894	40249
		पूँजी	5645003	0
23	उद्योग	राजस्व	400960	0
		पूँजी	168993	0
24	परिवहन	राजस्व	194619	0
		पूँजी	355105	0
25	खाद्य	राजस्व	231966	0
		पूँजी	5005	0
26	पर्यटन	राजस्व	186475	0
		पूँजी	542167	0
27	वन	राजस्व	2996893	0
		पूँजी	136005	0
28	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	813664	0
		पूँजी	45200	0
29	औद्योगिक विकास	राजस्व	749040	3350
		पूँजी	0	0
30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व	3817915	0
		पूँजी	2035333	0
31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व	783244	0
		पूँजी	547703	0
	योग	राजस्व	95867797	15743228
		पूँजी	22643420	13119308
	महायोग		118511217	28862536
				147373753

आज्ञा से,

वी0 बी0 राय,

प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of The Uttarakhand Appropriation Bill, 2009 (Adhiniyam Sankhya 10 of 2009).

No. 284/XXXVI(3)/2009/39(1)/2009

Dated Dehradun, July 27, 2009

NOTIFICATION

Miscellaneous

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 25th July, 2009.

THE UTTARAKHAND APPROPRIATION ACT, 2009

(Act No. 10 of 2009)

To authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State to the services for the year ending on thirty first day of March, 2010.

AN

ACT

Be it enacted by State Assembly in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows :-

Short Title	1. This Act may be called the Uttarakhand Appropriation Act, 2009.
Issue of Rs. 147373753000 out of the Consolidated Fund of Uttarakhand for the year 2009-2010	2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Uttarakhand there may be paid and applied sums not exceeding those specified in Column 3 of the Schedule amounting in the aggregate [inclusive of the sums specified in column 7 to 10 of the Schedule to the Uttarakhand Appropriation (Vote on Account) Act, 2009 (Uttarakhand Act no. 2 of 2009)] to the sums of Rs. 147373753000 (Fourteen Thousand Seven Hundred Thirty Seven Crore Thirty Seven Lakh Fifty Three Thousands only) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the year ending on the thirty first day of March, 2010 in respect of the services and purposes specified in column 2 of the Schedule.
Appropriation	3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of Uttarakhand by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the year ending on the thirty-first day of March, 2010.

SCHEDULE

(See Section 2 and 3)

Grant/ Serial No.	Services and Purpose	Sums not exceeding (In thousands of Rupees)		Total
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund of the State	
1	2	3		
01	Legislature	Revenue 139721	7981	147702
		Capital 5000	0	5000
02	Governor	Revenue 0	43745	43745
		Capital 0	0	0
03	Council of Ministers	Revenue 301695	0	301695
		Capital 0	0	0
04	Judicial Administration	Revenue 774018	237851	1011869
		Capital 50000	0	50000
05	Election	Revenue 278657	0	278657
		Capital 0	0	0
06	Revenue & General Administration	Revenue 3492581	12491	3505072
		Capital 362238	0	362238
07	Finance, Tax, Planning, Secretariat & Miscellaneous Services	Revenue 19649776	15349090	34998866
		Capital 1493517	13115808	14609325
08	Excise	Revenue 68657	0	68657
		Capital 1000	0	1000
09	Public Service Commission	Revenue 0	48471	48471
		Capital 0	3500	3500
10	Police & Jail	Revenue 4713530	0	4713530
		Capital 260002	0	260002
11	Education, Sports, Youth Welfare & Culture	Revenue 28637964	0	28637964
		Capital 375692	0	375692
12	Medical, Health & Family Welfare	Revenue 5214459	0	5214459
		Capital 426265	0	426265
13	Water Supply, Housing & Urban Development	Revenue 6235683	0	6235683
		Capital 10000	0	10000
14	Information	Revenue 219066	0	219066
		Capital 5000	0	5000
15	Welfare	Revenue 3086219	0	3086219
		Capital 76003	0	76003
16	Labour & Employment	Revenue 461324	0	461324
		Capital 26500	0	26500

1	2	3		
17	Agriculture Works & Research	Revenue 2595677	0	2595677
		Capital 13702	0	13702
18	Co-operative	Revenue 184987	0	184987
		Capital 40201	0	40201
19	Rural Development	Revenue 3420523	0	3420523
		Capital 427001	0	427001
20	Irrigation & Flood	Revenue 2462278	0	2462278
		Capital 4744609	0	4744609
21	Energy	Revenue 85312	0	85312
		Capital 4846176	0	4846176
22	Public Work	Revenue 3670894	40249	3711143
		Capital 5645003	0	5645003
23	Industries	Revenue 400960	0	400960
		Capital 168993	0	168993
24	Transport	Revenue 194619	0	194619
		Capital 355105	0	355105
25	Food	Revenue 231966	0	231966
		Capital 5005	0	5005
26	Tourism	Revenue 186475	0	186475
		Capital 542167	0	542167
27	Forest	Revenue 2996893	0	2996893
		Capital 136005	0	136005
28	Animal Husbandary	Revenue 813664	0	813664
		Capital 45200	0	45200
29	Horticulture Development	Revenue 749040	3350	752390
		Capital 0	0	0
30	Welfare of Scheduled Castes	Revenue 3817915	0	3817915
		Capital 2035333	0	2035333
31	Welfare of Scheduled Tribes	Revenue 783244	0	783244
		Capital 547703	0	547703
Total		Revenue 95867797	15743228	111611025
		Capital 22643420	13119308	35762728
Grand Total		118511217	28862536	147373753

By Order,

V. B. RAI,

Principal Secretary.